



सत्यमेव जयते

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



क्रं. [SECR-R0PERS\(PnM\)/221/2021-O/o SR.DPO/R/SECR](#) (E – 54659)

Date: 06.09.2025

NOTIFICATION NO. - 85/ 2025

Sub.- रायपुर मंडल के विद्युत/टीआरएस/भिलाई विभाग में 25% DPQ के तहत पे लेवल-6 में कनि. अभियंता (इलेक्ट्रिकल/टीआरएस) के पद को भरने के लिए पैनल का गठन | Formation of panel for filling up the post of Junior Engineer (Electrical/TRS) in PML-6 against 25% DPQ in Electrical/TRS department of Raipur Division.

रायपुर मंडल/द.पू.म.रे के विद्युत / टी आर एस विभाग में 25% डीपीक्यू के तहत वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 में कनिष्ठ अभियंता (TRS) के 01 (एक) पद को भरने के लिए एक पैनल बनाने का प्रस्ताव है। विवरण इस प्रकार हैं। It is proposed to form a panel for filling up of 01 (One) post of Junior Engineer (Electrical/TRS) in Pay Matrix Level-6 against 25% DPQ in Electrical/TRS/BIA department of Raipur Division/ SECR. The details are as under.

Category	Community			
	SC	ST	UR	Total
Junior Engineer/TRS (25% DPQ)	00	00	01	01 (including PwBD vacancy)

1. पात्रता एवं सेवा शर्तें / ELIGIBILITY AND SERVICE CONDITIONS OF STAFF :

- पीएमएल-6 में रायपुर मंडल के विद्युत/टी आर एस, विद्युत/ओ पी, विद्युत/ओ पी (नागपुर मंडल) एवं RSO & RSM ग्रुप (विद्युत विभाग) के वरिष्ठ तकनीशियन के रूप में कार्यरत वरिष्ठतम पात्र कर्मचारियों की सूची और जो अपनी वरिष्ठता के आधार पर 1:3 अनुपात में सामान्य विचार क्षेत्र में हैं, अनुलग्नक B- में संलग्न है। The list of senior most eligible staff working as Sr. Technician/TRS of Electrical/TRS, OP/NGP Department of Raipur/NGP (RSO-RSM) Division in PML-6 and who are in the normal zone of Consideration in 1:3 ratio based on their seniority is enclosed as **Annexure-'B'**.
- चयन के लिए कर्मचारियों की अतिरिक्त सूची का भी अनुलग्नक-C में उल्लेख किया गया है। इन कर्मचारियों को यह सलाह दी जा सकती है कि अनुलग्नक -B की मुख्य सूची के कर्मचारियों के मामले में उन्हें केवल लिखित परीक्षा में बैठने के लिए सक्षम बनाने वाली मुख्य सूची में शामिल किया जाएगा जिन्होंने चयन के लिए अपनी बिना शर्त अनिच्छा कट-ऑफ तारीख **(13.09.2025)** से पहले व्यक्त की हो. standby list of employees for selection is also mentioned in **Annexure-'C'**. It may be advised to these employees that they will be include in the main list enabling them to appear for the written examination only in the case of employees in the main list of Annexure-B have expressed their unconditional unwillingness to appear for the Selection on or before the cut-off date i. e. **13.09.2025**

(Authority RBE No.40/2014)

2. SYLLABUS:

विद्युत/टी आर एस विभाग के कनि. अभियंता के पद पर चयन के लिए 25% डीपीक्यू के तहत संभावित पाठ्यक्रम संबंधित कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रकाशन के लिए **Annexure-II** के रूप में संलग्न है। The tentative syllabus for selection to the post of JE (TRS) of Electrical (TRS) Department against 25% DPQ is enclosed as **Annexure-II** for wide publication amongst the staff concerned.

3. लिखित परीक्षा की प्रक्रिया, PROCEDURE FOR WRITTEN EXAMINATION:

- प्रश्न पत्र 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। The question paper will be 100% objective Type.
- सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे एवं समान अंको के होंगे। All the questions will be of multiple choice and carrying equal marks.
- कुल 110 प्रश्न होंगे जिसमें किसी भी 100 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 प्रश्न (वैकल्पिक) राजभाषा पर होगा। यदि कोई उम्मीदवार 100 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देता है तो प्रथम 100 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। there will be a total of 110 questions in which any 100 questions have to be answered, 10 questions (optional) will be on Rajbhasha, if any candidate answer more than 100, the first 100 attempted questions will be counted.
- वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ 120 मिनट की होगी। The duration of examination under objective type multiple choice will be 120 Minutes.
- स्थापना नियम संख्या 315/2019(कंडिका-a) के निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। As per Estt. Rule No. 315/2019 (Para-a) no negative marking will be done.
- परीक्षा Computer based / Tab based पद्धति से होगी। The examination will be conducted by Computer based / Tab based method.

(Authority RBE No.194/2019 & 196/2018)

4. पूरक परीक्षा / SUPPLEMENTARY EXAMINATION:

निम्नलिखित परिस्थितियों में मुख्य परीक्षा से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार की बीमारी या अन्य कारण जिन पर कर्मचारियों का कोई नियंत्रण नहीं है। With the approval of the competent authority a supplementary examination will be held to the employees who have remained absent from the main examination due to Sickness of the candidate or other reasons in which the employees has no control.

5. चयनपूर्व प्रशिक्षण / PRE-SELECTION COACHING:

चूंकि, उपलब्ध रिक्ति अनारक्षित समुदाय से है अतः SC/ST समुदाय के प्रत्याशियों को चयनपूर्व प्रशिक्षण/कोचिंग का प्रावधान नहीं है। Since, available vacancy is for UR category, hence pre-selection coaching will not be imparted to SC/ST candidates

(Authority: PCPO/BSP' Lt. No.P-HQ/RUL/105/2 dated 13-07-2023)

6. परीक्षा तिथि & स्थान DATE OF EXAMINATION & VENUE:

परीक्षा की तिथि, स्थान, समय और परीक्षा पद्धति (यदी कोई परिवर्तन हो तो) की सूचना अलग से प्रदान की जाएगी। The date, venue and time of examination will be intimated separately.

7. चयन का तरीका और अर्हक अंक, MODE OF SELECTION AND QUALIFYING MARKS.

- व्यावसायिक योग्यता: - चयन के क्षेत्र में कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता का आकलन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। कर्मचारियों को पेशेवर क्षमता के साथ-साथ कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है (अतः उसमें जिसमें व्यावसायिक दक्षता, सेवा रिकार्ड & वरियता)। Professional Ability: - The professional ability of the employees in the field of selection will be adjudged through written test only. The employees must secure 60% of marks in professional ability as well as in the aggregate (i.e. marks obtained in the each : Professional ability, record of service and marks of seniority)
- कनिष्ठ अभियंता का पद सुरक्षा केटेगरी का पद होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंकों में कोई छूट नहीं होगी। उन्हें लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक और अनारक्षित कर्मचारियों के बराबर कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करना होगा। The post of Junior Engineer being a safety one, there will be no relaxation in qualifying marks for candidates belonging to SC/ST community. They have to obtain minimum of 60% in written test & 60% in aggregate on par with UR employees.

Factors /heading	Maximum marks	Qualifying Marks
Professional ability	50	60%
Record of services	30	-
Seniority marks	20	
Total	100	60%

c. सेवा अभिलेखों के अंतर्गत अंको का वितरण. Distribution of marks under of head of record of services.

30 marks	- विगत तीन वर्ष के APARs के आधार पर on the basis of grading of APARs of last three years - सेवा पुस्तिका में दर्ज पुरस्कार / दंड के आधार पर on the basis of entries of award / punishment in the SR.	प्रत्येक प्रकरण में किसी भी स्थिति में अधिकतम 30 अंक होगी, In any case the total marks under this head should not exceed 30 marks
----------	---	---

d. "व्यावसायिक क्षमता" और "सेवा के रिकॉर्ड" के कुल अंकों के आधार पर वरियता के क्रम में अंतिम पैनल तैयार किया जाना है। हालांकि, कर्मचारियों को पैनल पर रखे जाने के लिए "व्यावसायिक क्षमता" में न्यूनतम 60% अंक और कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने चाहिए। वे उम्मीदवार जो कुल मिलाकर 80% या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उन्हें 'उत्कृष्ट' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा एवं उन्हें पात्रता के क्षेत्र में अपने वरिष्ठों के केवल 50% को पार करने की अनुमति दी जाएगी, जो कि लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। The final panel should be drawn up in the order of seniority based on aggregate marks of "Professional ability" and "Record of Service". However, the employees must secure a minimum of 60% marks in "Professional ability" and 60% marks in aggregate, for being placed on the panel. Candidates who secure 80% and above marks in aggregate should be classified as 'Outstanding' and they be allowed to supersede only 50% of their seniors in the field of eligibility i.e. who have appeared for the written examination.

(Authority: Estt. Serial No. 177/2002)

e. अंतिम पैनल PCPO/SECR के पत्र संख्या पी-एचक्यू/एनजीसी/519/ई-53295/1434 दि. 18.01.2022 के संदर्भ में ए-3 (आई - थ्री) मेडिकल वर्गीकरण में फिट होने के अधीन होगा। The final panel will also be subject to their being fit in medical classification of A-3 (Aye- Three) in terms of PCPO/SECR letter No. P-HQ/NGC/519/E-53295/1434 dated 18.01.2022.

8. कर्मचारियों को सूचित करना / Notifying to the staff :

संबंधित वरिष्ठ अधीनस्थ / पर्यवेक्षक को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि "पात्र उम्मीदवार को परीक्षा आयोजित करने के बारे में विधिवत सूचित किया गया था और लिखित रूप में या अन्यथा लिखित रूप में अपने आवेदन जमा करने के लिए कहा गया था" और इस कार्यालय को अग्रेषित करें। इस संबंध में औपचारिकता पूरी करना वरिष्ठ अधीनस्थ/पर्यवेक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह भी सलाह दी जाती है कि चयन के संबंध में प्राप्त होने वाले किसी अन्य संचार को अनिवार्य रूप से पूरे पात्र कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिए। कोई पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में कार्मिक विभाग अथवा नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। *Senior Subordinate/Supervisor concerned has to furnish a certificate that "the eligible candidate were duly notified of the holding of the test and asked to submit their applications giving willingness or otherwise in writing" and forward the same to this office. It should be the personal responsibility of the Senior Subordinate/Supervisor to complete the formality in this respect. It is further advised that any other communication received in respect of the selection should invariably be intimated to the entire eligible employee. In case of non receipt of any communication the same may be obtained from the Personnel Department or from the Controlling Officer. Any laxity in this regard will be viewed seriously.*

कर्मचारियों से प्राप्त अनिच्छा, यदि कोई हो, 13.09.2025 को या उससे पहले इस कार्यालय को अग्रेषित की जानी है, इस तिथि के बाद जमा की गई अनिच्छा को स्वीकार नहीं किया जाएगा और परीक्षा में शामिल होने में विफलता को डीएआर कार्रवाई के तहत लिया जाएगा। अधिसूचना में उल्लेखित वास्तविक कारणों पर ही विचार किया जाएगा। The unwillingness, if any, received from the employees is to be forwarded to this office on or before 13.09.2025 the unwillingness submitted after this date will not be accepted and failure to attend the exam will be taken up under DAR action. Only genuine reasons as mentioned in notification will be considered only.

9. सामान्य जानकारीयां GENERAL INFORMATION:

- a. उपरोक्त लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे उचित पहचान पत्र के साथ परीक्षा की निर्धारित तिथि पर उपस्थित हों।
To attend the above written exam, candidate is advised to attend on scheduled date of exam along with proper identification memo.
- b. युनिट प्रभारी को सलाह दी जाती है कि उचित पहचान पत्र के साथ समय पर कर्मचारी भारमुक्त करें।
Unit in-charge is advised to release the staff in time with proper identification memo.
- c. यदि उम्मीदवार द्वारा किसी अनुचित साधन का उपयोग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकता है एवं उन्हें डीएआर के तहत भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। If use any unfair means is noticed from the candidate, they shall be asked to leave the examination hall and has to face action under DAR also.
- d. यदि आवेदक के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है, तो चयन के किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। If any discrepancy is found at any stage in regard to the applicant the candidature is liable to be cancelled at any stage of selection without any information,
- e. किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any dispute, the English version shall be applicable
- f. स्थापना नियम संख्या 168/2022 के निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार PwBD को आरक्षण प्रदान किया जाना है, जिसके तहत D/HH के लिए चिन्हित किया गया है, लेकिन वर्तमान में पदोन्नती हेतु कोई भी चिन्हित बिन्दु हेतु पात्र कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण उक्त आरक्षण को अग्रेषित किया गया है एवं वरिष्ठतम पात्र कर्मचारी को पात्रता प्रदान किया गया है।
As per the guidelines contained in Establishment Rule No. 168/2022, reservation is to be provided to PwBD, under which the first point has been marked for D/HH, but at presently due to non-availability of eligible staff for the marked points for promotion, the said PwBD reservation has been carry forwarded and senior most staffs has been made eligible for suitability.
- g. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम के प्रकाशन से पहले अपने ई-सेवा पुस्तिका / भौतिक सेवा पुस्तिका में पिछले 03 वर्षों के पुरस्कार/दंड की प्रविष्टियाँ दर्ज कर लें। जिसके बाद पुरस्कार/दंड जोड़ने के संबंध में प्रस्तुत उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। The candidates are advice to get the entries of Award/Punishments of last 03 years in their E-SR/ Physical SR before publications of result. After that their claims for adding award/Punishment will not be considered.

संलग्न / Encl: यथोक्त As above.

Digitally Signed by Sharma

Mahendra Kumar
सहायक कार्मिक अधिकारी
Date: 06-09-2025 21:02:24
Reason: Approved

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित: Copy forwarded for information and necessary action to:

- i) SR. DEE/TRS/BIA for information and wide publicity to among their staff
- ii) DC/SECRM/R, DS/AI SC ST REA/R, DS/OBCEA/R
- iii) Sectional Ch Staff & Welfare Inspector.

कृते, वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी

Annexure -'B'

Provisional list of staff of Electrical/TRS Department for calling option for willingness / unwillingness for selection to the post of JE/TRS against 25 % DPQ as per Estt. Rule No. 94/2024

Sr. No.	Name of staff (S/Sri/Smt)	Design.	PF /Emp. No.	Comm.	Remarks.
1.	BHUWAN SINGH	Sr Tech./TRS	07051475	ST	As per existing seniority as on 01.01.2025
2.	TUKARAM NAGWANSHI	Sr Tech./TRS	07051621	ST	
3.	S. K. KHANDEY	Sr Tech./TRS	07051610	SC	

Annexure -'C'

Standby list of staff in case of Unwillingness is/are given by the above:

Sr. No.	Name of staff (S/Sri/Smt)	Design.	PF /Emp. No.	Comm.	Remarks.
1	RAMSWAROOP YADAV	Sr Tech./TRS	7049857	UR	As per existing seniority as on 01.01.2025
2	GANESH RAM	Sr Tech./TRS	7957919	ST	
3	RAVINDRA SAHARE	Sr Tech./TRS	7959163	SC	
4	SUSHIL WASNIK	Sr Tech./TRS	7959497	SC	
5	BODHRAM DHRUW	Sr Tech./TRS	7957956	ST	

Digitally Signed by Sharma
Mahendra Kumar
Date: 06-09-2025 21:04:22
Reason: Approved

25% विभागीय कोटा के अंतर्गत विद्युत (क.च.स्टॉक) विभाग (आरएसओ / आरएसएम) समूह में कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर चयन हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम।

Syllabus of Examination for the selection of Junior Engineer in Elect (TRS) Department (RSO/RSM) group against 25% Departmental Quota

A. तकनीकी / Technical :- विद्युत (क.च.स्टॉक / परिचालन) / Electrical (TRS/OP)

1. : चल स्टॉक का अनुरक्षण - सामान्य
Maintenance of rolling stock general.
 - शेड संगठन / Shed organization structure
 - वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर / अनुरक्षण की द्यूटियां / Duties of Sr. Section Engineer (Maintenance)
 - वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर / कनिष्ठ इंजीनियर (योजना एवं प्रगति कार्यालय) का कर्तव्य / Duties of Sr. Section Engineer / Junior Engineer (Planning and Progress Office)
 - अनुभाग पर्यवेक्षक की द्यूटियां / Duties of Section Supervisors.
 - पुलिंग पाईंट पर्यवेक्षक की द्यूटियां / Duties of Pooling point Supervisors.
 - शेड में कार्यभार का वितरण / Distribution of workload in the Shed
 - तकनीकी अनुभाग का कार्य का विवरण / Duties of Technical section.
 - लोको/मेमु शेड एवं पुलिंग पाईंट में रखे जाने वाले रिकार्ड एवं रजिस्टर / Records and register to be maintained in Loco/MEMU Shed.
2. : विद्युत इंजनो एवं मेमु का अनुरक्षण और ओवरहाल कार्यक्रम
Maintenance & overhaul schedule of Electric locomotives and MEMU.
 - रेल इंजनो का अनुरक्षण और ओवरहाल कार्यक्रम / Maintenance and overhaul schedules of electric locomotives and MEMU.
 - विद्युत लोको एवं मेमु का निर्धारित निरीक्षण / Schedule inspection of Electric Locomotives & MEMU.
3. : विद्युत लोकोमोटिव (परम्परागत एवं थ्री फेज) के कार्य का सिद्धांत
Electric locomotive (Conventional / Three Phase) working principle.
4. : विद्युत लोकोमोटिव एवं मेमु का ऑपरेशन / रखरखाव की संरक्षा सुविधाएँ
Safety features of Electric locomotives and MEMU operation / maintenance.
5. : विद्युत लोकोमोटिव (परम्परागत एवं थ्री फेज) में प्रयुक्त उपकरणों की कार्यविधि एवं ओवरहालिंग।
Working Principle of different type of equipments/overhauling procedure for conventional/three phase locomotives.
6. : रिहोओस्टेटिक / रीजेनेटिंग ब्रेकिंग के फायदे एवं नुकसान
Advantages & disadvantages of Rheostatic/Regenerating braking.
7. : थ्री फेज लोकोमोटिव की मुख्य विशेषताएं एवं डीसी ट्रैक्शन मोटर्स पर एसी ट्रैक्शन मोटर का लाभ
Main features of Three phase locomotives and advantage of AC traction motor over DC traction motors
8. : विद्युत लोकोमोटिव (पारंपरिक / थ्री फेज) में इस्तेमाल किए गए संरक्षा उपकरणों का विवरण एवं कार्यप्रणाली
Details and working procedure of Safety equipments used in electric locomotive (Conventional / Three Phase)
9. : विद्युत लोकोमोटिव (पारंपरिक / थ्री फेज) में गर्मी / मानसून / शीतकालीन सावधानी की तैयारियां।
Preparedness of Summer/Monsoon/Winter precaution in Electric Locomotives (conventional/Three Phase)
10. : विद्युत लोकोमोटिव (पारंपरिक / थ्री फेज) में समस्याओं का निवारण
Troubleshooting of Electric Locomotives (Conventional / Three phase)

B. सामान्य ज्ञान / General Knowledge

C. स्थापना / Establishment

1. : रेल कर्मचारी कार्यकाल नियम / HOER
2. : रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम / Discipline and appeal Rules 1968
3. : श्रमिकों हर्जाने का कानून 1923 / Workmens Compensation Act, 1923
4. : रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 / The Railway Services (Conduct) Rules 1966
5. : छुट्टी के नियम / Leave Rules
6. : पास का नियम / Pass Rules
7. : श्रम कानून / Labour Law
8. : राजभाषा नियम और प्रोत्साहन योजनाएँ / Official Language Rules and Promotional Schemes.

D. भंडार / STORE

1. : स्टॉक एवं नॉन स्टॉक / Stock & Non Stock
2. : इन्वेंटरी प्रबंधन / Inventory management

E. लेखा / ACCOUNTS

1. : कार्य व्यय / Works Expenditure
2. : अगस्त की समीक्षा अनुमान / August Review Estimate
3. : बजट अनुमान / Budget Estimate

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर / क.च.स्टॉक
भिलाई